कार्यालय उप जिलामजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

शालीमार कार्प लि0 की ओर से उनके अधिकृत हस्ताक्षरी श्री शिवजनम चौधरी द्वारा ग्राम मुहम्मदपुर चौकी स्थित शालीमार मन्नत जनपद बाराबंकी स्थित खसरा संख्या 52, 53, 54ए, 54बी, 55, 59, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पर PROPOSED REVISED GROUP HOUSING FOR TOWER K, L, M, N का मानचित्र (मानचित्र सं0 71/2022) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है है, को नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृति दे दी गई है।

1. मानचित्र स्वीकृति का सम्बन्ध भू-स्वामित्व से नहीं होगा। स्वामित्व विवादित होने की दशा में यह स्वीकृति विधि मान्य नहीं होगी। मानचित्र स्वीकृति आदेश भू-स्वामित्व के निर्धारण का अभिलेख नहीं होगा। यह स्वीकृति निर्माण के लिए स्वीकृति के दिनांक से केवल 5 (पांच) वर्षों के लिए विधि मान्य होगी। स्वीकृति अवधि के अन्दर निर्माण पूर्ण न होने की दशा में नवीनीकरण हेतु दो माह पूर्व आवेदन नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निर्माण आरम्भ करनें की सूचना प्रपत्र-'ज' में नियत प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा। नियत प्राधिकारी स्वयं अथवा कार्यरत अभियन्ता से कभी भी निर्माण की जांच करा सकेंगे।
3. स्वीकृति मानचित्र अनुसार अर्ह व्यक्ति की देखरेख में निर्माण करना होगा। स्वीकृति से भिन्न निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा। अवैध निर्माण के विरूद्ध नियमों के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा मानचित्र में पीले रंग प्रदर्शित अशमनीय निर्माण स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर ध्वस्त कर लिखित सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
4. भवन निर्माण कर कुर्सी तल आस-पास के निर्मित भवनों के कुर्सी तल के बराबर अथवा सड़क से डेढ़ फिट की ऊंचाई से अधिक नहीं होगा। सड़क/रास्ते/नाले व सार्वजनिक भूमि के ऊपर छज्जे, रैम्प, गड्ढा व अन्य किसी प्रकार का निर्माण कदापि नहीं किया जायेगा।
5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय की रिट संख्या 13029/1985 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समस्त Waste Management Rules 2016 में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को लिये गये निर्णय के अनुसार भवन में वर्षा जल संग्रह प्रणाली, दूषित जल निकासी, मल प्रवाह आदि का प्रबन्ध स्वयं भवन स्वामी को करना होगा साथ ही पर्यावरण सुधार की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष अथवा कम से कम 2 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा। (क) दूषित जल नदियों में नहीं छोड़ा जायेगा। (ख) वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु कार्य स्थल पर नि11र्माण सामग्री को ढ़क कर रखना एवं पानी आदि का छिड़काव करना अनिवार्य होगा।
6. आवासीय भवन जिसकी लागत रूपया 10 लाख से अधिक हो एवं अन्य सभी प्रकार के भवन निर्माण पर श्रम विभाग को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मद में लेबर सेस, परियोजना की लागत का 1 प्रतिशत जमा करना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन एवं अग्निसुरक्षा एवं भू-कम्परोधी प्रणाली का प्रबन्ध क्रमशः अग्निशम विभाग एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यस्थल पर भवन निर्माण के समय निम्न अभिलेखों की अधिकृत अर्हता प्राप्त व्यक्ति से तैयार कराकर आपको रखना अनिवार्य होगा।

   (क) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

   (ख) मृदा परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियां।

   (ग) नींव सुपर स्ट्रक्चर की गणनाएँ तथा भवन को भू-कम्परोधी बनवाने हेतु संरचनात्मक डिजाईन से सम्बन्धित समस्त मानचित्र व स्ट्रक्चरल डिटेल तथा निर्माण सामग्री परीक्षण रिपोर्ट।
9. भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करनें हेतु आवेदन के साथ अर्ह व्यक्ति जिसके पर्यवेक्षण मे निर्माण पूर्ण कराया गया हो, का प्रमाण पत्र एवं भू-कम्परोधी व अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करनें के पश्चात भवन प्रयोग लाया जाना वैध होगा।

10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या 90/व.नि.(4)/बाराबंकी–अनापत्ति/2022–23 दिनांक 19.04.2022 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा। (पत्र की छायाप्रति संलग्न।)

11. स्वीकृत की शर्तों का अनुपालन न करनें की दशा में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

कार्यालय सूचना संख्या 71/2022

दिनांक स्वीकृत 31/05/2022

31/05/2022

उप जिलामजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।